


फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चाकरू जिला जयपुर ग्रामीण

केस संख्या :- /2024

<p>28/5/24</p>	<p>पत्रावली पेश हुई। वसील प्रार्थी उप.) अप्रार्थीगण को लगन जरिए डाक से भेजे एक माह से अधिक का समय हो चुका है। लगन अहम तमील बोटिणर प्राप्त नहीं हुए हैं। अतः तमील लगन मानी जाती है। लगन तमील की उपरान्त अप्रार्थीगण हाज़िर नहीं आए। अतः उनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है। बहल वसील प्रार्थी की सुनी गरी वसील प्रार्थी की बहल के आधार पर अन्तरिम आदेश दिनांक 15/05/24 को तामेसलावाद कर्कम किया जाता है। पत्रावली केसल शुमार दोडर दर्ज नम्बर ले कर दी।</p> <p style="text-align: right;">  उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड, जयपुर (उर) </p>
----------------	--